

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, मीरजापुर, संतकबीर नगर, सीतापुर, कुशीनगर, बलिया, बहराइच, मऊ, वाराणसी, झांसी, गाजीपुर, बाराबंकी, जालौन, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, चन्दौली, कौशाम्बी, बिजनौर बस्ती, गोण्डा चित्रकूट, बलरामपुर, बांदा औरैया, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, कानपुर देहात, भदोही, सुल्तानपुर, आगरा एवं श्रावस्ती।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 21 अक्टूबर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों से प्राप्त सूचना/विवरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये बाढ़ मद में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रु० 77,88,96,748/-** (सतहत्तर करोड़ अठ्ठासी लाख छियानबे हजार सात सौ अड़तालिस मात्र) की धनराशि कालम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कालम-4 में अंकित धनराशि के अनुसार अग्रिम रूप से निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि लाख रु० में			
क्र०स०	जनपद	कृषकों की संख्या	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	देवरिया	37848	1088.54208
2	महाराजगंज	26268	836.21191
3	सिद्धार्थ नगर	24003	846.04545
4	गोरखपुर	23188	707.93222
5	मिर्जापुर	21969	535.71511
6	संत कबीर नगर	16897	511.99612
7	सीतापुर	9105	489.77016
8	कुशी नगर	8992	232.58272
9	बलिया	8630	273.42983
10	बहराइच	7098	307.96692
11	मऊ	6857	336.19028
12	वाराणसी	4818	214.59753
13	झांसी	4515	171.7891

Mural

14	गाज़ीपुर	4394	120.67434
15	बाराबंकी	4391	106.39242
16	जालौन	3800	122.28052
17	खीरी	3480	181.32728
18	ललितपुर	3228	165.67485
19	चंदौली	2576	068.30753
20	कौशाम्बी	2303	076.41299
21	अम्बेडकर नगर	2009	043.93277
22	बिजनौर	1458	091.29326
23	बस्ती	1369	072.95911
24	गोंडा	1290	078.66776
25	चित्रकूट	1132	023.82064
26	बलरामपुर	989	023.97729
27	बाँदा	964	024.34117
28	औरैया	925	016.57813
29	फर्रुखाबाद	248	009.49994
30	पीलीभीत	194	005.8727
31	कानपुर देहात	78	002.57688
32	भदोही	68	000.95109
33	सुल्तानपुर	36	000.51981
34	आगरा	1	000.12757
35	श्रावस्ती	1	000.01
	Grand Total	235122	7788.96748
(सतहत्तर करोड़ अट्ठासी लाख छियानबे हजार सात सौ अड़तालिस मात्र)			

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक: 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

Manoj

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2 - उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू० रू० 77,88,96,748/- (सतहत्तर करोड़ अट्ठासी लाख छियानबे हजार सात सौ अड़तालिस मात्र) वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
Mans 21.10.21
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 1724/एक-10-2021-33(11)/2021, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राम केवल) 21.10.21
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-21/10/2021

प्रेषण संख्या:- 1724
आवंटन आदेश संख्या:- 121-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आगरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	12757 21012757	12757 21012757
2	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	9129326 16129326	9129326 16129326
3	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	587270 7587270	587270 7587270
4	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	949994 22949994	949994 22949994
5	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	17178910 23178910	17178910 23178910
6	जालौन-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	12228052 36228052	12228052 36228052
7	बांदा -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2434117 13434117	2434117 13434117
8	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	21459753 50459753	21459753 50459753
9	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	53571511 59571511	53571511 59571511
10	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	12067434 42958434	12067434 42958434
11	बलिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	27342983 96842983	27342983 96842983
12	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	70793222 334006222	70793222 334006222
13	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	7295911 64295911	7295911 64295911
14	देवरिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	108854208 115854208	108854208 115854208
15	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	48977016 110977016	48977016 110977016
16	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	18132728 85132728	18132728 85132728
17	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	7866776 70046776	7866776 70046776
18	बहराइच-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	30796692 92796692	30796692 92796692
19	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	51981 51981	51981 51981
20	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10639242 67639242	10639242 67639242
21	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	16567485 22567485	16567485 22567485

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
22	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	257688 20557688	257688 20557688
23	मऊ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	33619028 95619028	33619028 95619028
24	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	84604545 241604545	84604545 241604545
25	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	83621191 140621191	83621191 140621191
26	संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	95109 6095109	95109 6095109
27	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	23258272 80535780	23258272 80535780
28	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4393277 11393277	4393277 11393277
29	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	6830753 16830753	6830753 16830753
30	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2397729 59397729	2397729 59397729
31	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	51199612 108283612	51199612 108283612
32	औरैया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1657813 23657813	1657813 23657813
33	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	7641299 27641299	7641299 27641299
34	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000 7001000	1000 7001000
35	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2382064 8382064	2382064 8382064
	योग	वर्तमान प्रगामी	778896748 2201342256	778896748 2201342256

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सतहत्तर करोड़ अठासी लाख छियानवे हजार सात सौ अड़तालीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो अरब बीस करोड़ तेरह लाख बयालीस हजार दो सौ छप्पन

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।